

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़/दुर्ग/  
तक. 114-009/2003/20-01-03.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

( असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 282 ]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 3 नवम्बर 2006—कार्तिक 12, शक 1928

विधि और विधायी कार्य विभाग

रायपुर, दिनांक 3 नवम्बर 2006

क्रमांक 13069/डी-342/21-अ/प्रारूपण/06.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 18-8-2006 का राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा अह्तेगानुसार,  
अशोक कुमार पोद्दार, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम  
(क्रमांक 29 सन् 2006)

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन)  
अधिनियम, 2006

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 13 सन् 2005)  
में संशोधन हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ की विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

- संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ. 1. (1) यह अधिनियम "छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अधिनियम 2006" के नाम से जाना जावेगा.
- (2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होगा.
- परिभाषाएं. 2. इस अधिनियम में जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो,—
- "मूल अधिनियम" से तात्पर्य है, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005.
- अनुसूची में संशोधन. 3. मूल अधिनियम की अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित की जावेगी, यथा :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	डॉ. सी. व्ही. रमन विश्वविद्यालय	ऑल इण्डिया सोसायटी फार इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड टेक्नोलॉजी (आई सेक्टर)	सं एवं सोसायटीज पंजीकरण अधिनियम 1973 (क्र. 44 सन् 1973) पंजीयन क्रमांक छ. ग. राज्य-208 दिनांक 14-08-2002	करगाँ रोड, कोटा, जिला-बिलासपुर	छत्तीसगढ़ राज्य	स्नातक, स्नातकोत्तर एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों का तकनीकी (ऑपर्याटिव), ग्राफ़िण एवं सूचना, विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा तथा नसेसे संबंधित विषय.
2.	मैट्स विश्वविद्यालय	श्री भगवान महावीर जैन एजेकेशनल एण्ड कल्चरल सोसायटी.	फर्म्स एवं सोसायटीज पंजीकरण अधिनियम 1973 (क्र. 44 सन् 1973) पंजीयन क्रमांक छ. ग. राज्य-2342 दिनांक 07-05-2003	आरंग-खरोरा हाईवे ग्राम पंचायत गुल्लु ग्राम गुल्लु तहसील आरंग जिला रायपुर	छत्तीसगढ़ राज्य	स्नातक, स्नातकोत्तर एवं शोध पाठ्यक्रमों का एवं धन, व्यवसाय, वाणिज्य, अभियांत्रिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, जैवविज्ञान, फार्मसी, कला एवं मानविकी, विधि, शिक्षा, विज्ञान तथा उद्यम में योगदान विषय.

रायपुर, दिनांक 3 नवम्बर 2006

क्रमांक 13069/डी-342/21-अ/प्रारूपण/06.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छ. ग. निजी विश्वविद्यालय (स्थापना तथा संचालन) (संशोधन) अधिनियम, 2006 (क्र. 29 सन् 2006) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अशोक कुमार पोटदार, उप-सचिव.

**CHHATTISGARH ACT**  
(No. 29 of 2006)

**CHHATTISGARH PRIVATE UNIVERSITIES (ESTABLISHMENT AND OPERATION) (AMENDMENT) ACT, 2006**

An Act to amend the Chhattisgarh Private Universities (Establishment And Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Fifty-Seventh year of the Republic of India. as follows :—

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Private Universities (Establishment And Operation) (Amendment) Act, 2006. Short title and commencement.
- (2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.
2. In this Act, unless the context otherwise requires,— Definition.

"Principal Act" means Chhattisgarh Private Universities (Establishment And Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005).
3. In Schedule in the Principal Act, the following shall be inserted, namely :— Amendment of Schedule.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Dr. C. V. Raman University	All India Society for Electronics and Computer Technology (AISECT)	Firms and Societies Registration Act, 1973 (No. 44 of 1973) Registration No. C. G. State 208 dated 14-8-2002.	Kargi Road, (Kota) District : Bilaspur	Chhattisgarh State	Under Graduation, Post Graduation and Diploma Courses in the faculties of Technology (Engineering, Rural Information) Science, Commerce, Education and matters related

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.	MATS University	Shri Bhagwan Mahavir Jain Educational and Cultural Society.	Firms and Societies Registration Act, 1973 (No. 44 of 1973) Registration No. C. G. State 2342 dated 7-5-2003.	Arang Kharora Highway, Gram Panchayat : Gullu. Village : Gullu, Tehsil : Arang. District : Raipur	Chhattisgarh State	Under Graduation Post Graduation and Research Courses in the faculties of Management, Business, Commerce, Engi- neering, Information Technology, Life Sciences, Pharmacy, Arts & Humanities, Law, Education and Science and matters related to.

## Ordinance No. 01

## Faculties and Departments

The Departments mentioned in column (2) of the Table below are assigned to the Faculty mentioned in column (1) thereof.

TABLE

Sr. No.	(01) Faculty	(02) Department of
(i)	Faculty of Science (Including Home Science, Allied Science)	Allied Sciences. Physics Chemistry Mathematics
(ii)	Faculty of Education (including Physical Education)	Education Physical Education
(iii)	Faculty of Commerce (including commercial and Business Management)	Commerce, Business Management
(iv)	Faculty of Engineering and Technology	Electronics and Communication Computer Science Information Technology Electrical Mechanical Rural Technology
(v)	Information Technology	Information Technology Computer Science

Other additional faculties and departments can be created as per the decisions of the Academic Council and after approval of the Governing Body.

मंत्रालयः  
राज्य कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक एफ 3-4/2010/38-2

रायपुर, दिनांक 10/10/2010

प्रति,

सचिव,

छ0ग0 निजी विश्वविद्यालय विनयामक आयाग  
रायपुर।

विषय :- वर्ष 2010-11 में डॉ0सी0व्ही0रमन विश्वविद्यालय बिलासपुर के विषयों में नये संकाय को जोड़ने के संबंध में।

राज्य शासन एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 2010 की धारा (9) की उपधारा 1 के तहत डॉ0सी0व्ही0रमन विश्वविद्यालय बिलासपुर को निम्नलिखित नये शैक्षणिक कार्यक्रम प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की जाती है

- 1 कला संकाय
- 2 विधि संकाय
- 3 फारमैसी संकाय
- 4 चिकित्सा शिक्षा संकाय
- 5 पैरामेडिकल साईंस, संकाय
- 6 मास कम्यूनिकेशन साईंस
- 7 पी.एच.डी. कार्यक्रम।

नये शैक्षणिक कार्यक्रम के संबंध में यह निर्देशित किया जाता है कि केन्द्रीय नियामक इकाईयों की आवश्यक अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही पूर्ण करें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(एन0डी0भोयर)

अवर सचिव

छ0ग0शासन, उच्च शिक्षा विभाग

रायपुर, दिनांक 10/10/2010

2-11-2010


पू0 क्रमांक 11734 एफ 3-4/2010/38-2

प्रतिलिपि :-

1. मान.मंत्री जी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय रायपुर छ0ग0। की ओर सूचनार्थ।
2. कुल सचिव, डॉ.सी0व्ही0रमन विश्वविद्यालय करगी रोड़ कोटा, बिलासपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव

छ0ग0शासन, उच्च शिक्षा विभाग



**DR. C.V. RAMAN UNIVERSITY**

Accredited with B+ Grade by NAAC

Kargi Road, Kota, Dist.-Bilaspur (C.G.)

Ph. : 07753-253 801 Fax : 07753-253728

e-mail : info@cvru.ac.in, visit us at : www.cvru.ac.in

No. 13/Reg./CVRU/2023

Bilaspur, 12/01/2023

### Certificate Of Undertaking

This is to state that the Under Graduate, Post Graduate, Diploma, Certificate & Research programmes and courses in the Faculties of Engineering & Technology, Arts, Information Technology, Sciences, Commerce & Management, Law, Pharmacy, Education & Physical Education offered by the Dr. C. V. Raman University, Kargi Road, Kota, Bilaspur (C.G.) adheres to all the provisions of Chhattisgarh Private University Act (No. 29 of 2006 for establishment and operation). The approval from the Government of Chhattisgarh via its Gazette No. 282 dated 3<sup>rd</sup> November 2006 and furthermore via letter no. F 3-4/2010/38-2 dated 2<sup>nd</sup> November 2010 is the latest one as per the record.

Based on this, I, on behalf of the University, undertake that the University follows all the guidelines of the Chhattisgarh Private University Regulatory Commission to run all the above programmes in the faculties cited above since then.

  
**Registrar**  
